

हुकम या कार्यवाही मय इनिशियल जज

नम्बर व तारीख
अहकाम जो इस
हुकम की तामील
में जारी हुए

22-29 वकील प्रार्थी उपर | न. इ. प्रा० पत्र पर
हुक बखस सुनी गई | वास्ते निर्णय पत्रावली दि०
2-29 को पेश है।

2-29 वकील प्रार्थी उपर | न. इ. प्रा० पत्र सारिज
किया जाना है | विस्तृत निर्णय पृथक से लिखा
जाकर पत्रावली में शामिल किया गया।
पत्रावली के सल शुमार होकर नम्बर से कम हो
रने बाद तकमील मूल वाद के साथ संलग्न रहे।

उप जिला कलेक्टर
गंगापूर सिटी (स०मा०)

मुकदमा नम्बर	तारीख रजू	तारीख निर्णय
68/2016	16.9.2016	8.8.2019
68/2017	11.10.2017	8.8.2019

1. रामचरण पुत्र कजोड्या, गुर्जर निवासी चूली तहसील गंगापूर सिटी
2. रामधन पुत्र कजोड्या, गुर्जर निवासी चूली तहसील गंगापूर सिटी
3. मोहन पुत्र कजोड्या, गुर्जर निवासी चूली तहसील गंगापूर सिटी
4. शेरसिंह पुत्र कैलाश आयु 15 वर्ष नाबालिग जरिए संरक्षक चाचा रामचरण पुत्र कजोड्या, गुर्जर निवासी चूली तहसील गंगापूर सिटी —प्रार्थीगण

बनाम

1. राधेश्याम पुत्र छोटू, गुर्जर निवासी चूली तहसील गंगापूर सिटी
2. सरकार जरिए तहसीलदार तहसील गंगापूर सिटी —अप्रार्थीगण

प्रार्थना पत्र अस्थाई निषेधाज्ञा

उपस्थित :- श्री मोहम्मद इस्लाम , एडवोकेट, प्रार्थीगण की ओर से
श्री प्रेमप्रकाश जोशी, एडवोकेट, अप्रार्थी राधेश्याम की ओर से
निर्णय

प्रार्थना पत्र संख्या 68/2016 बाबत अस्थाई निषेधाज्ञा प्रार्थीगण ने इस आशय का पेश किया है कि प्रार्थीगण के पिता घसीड्या पुत्र सांवलिया गुर्जर निवासी चूली की खातेदारी की भूमि एकीकरण ख0नं0 600 रकबा 4 बीघा 5 विस्वा हाल ख0नं0 1722 रकबा 0.59 है0, ख0नं0 1729 रकबा 0.32 है0 ग्राम चूली में स्थित है। ख0नं0 1728 रकबा 0.17 है0 नया रोड बना है जिसमें प्रार्थीगण का 0.06 है0 रकबा शामिल कर दिया है जिसका प्रार्थीगण कोई क्लेम नहीं कर रहे हैं। रोड की भूमि को मिलाकर प्रार्थीगण का कुल रकबा 0.97 है0 होता है। साबिक की तुलना में प्रार्थीगण का 0.10 है0 रकबा कम दर्ज किया गया है। प्रार्थीगण की खातेदारी भूमि में हालख0नं0 1741 रकबा 0.03 है0 नया रास्ता कायम कर दिया है तथा रास्ते के बाद नजरी नक्शे में पीले रंग से दर्शाए गए स्थान तक 0.04 है0 रकबा प्रार्थीगण का हाल ख0नं0 1742 रकबा 0.37 है0 में लगा दिया है। अप्रार्थी सं0 1 का साबिक ख0नं0 683 रकबा 5 बीघा 14 विस्वा था जिसके वर्तमान भू-प्रबन्ध में नवीन ख0नं0 1742 रकबा 0.75 है0, ख0नं0 1748 रकबा 0.51 है0 व ख0नं0 1725/2098 रकबा 0.06 है0 कायम किए हैं। भू-प्रबन्ध विभाग द्वारा अप्रार्थी नं0 1 के रकबे को साबिक ख0नं0 682 रकबा 9 बीघा 2 विस्वा से बने हालख0नं0 1743 रकबा 1.71 है0, ख0नं0 1746 रकबा 0.75 है0 में शामिल कर दिया है।

उप जिला कलेक्टर
गंगापूर सिटी (सं०३०)

ख०नं० 1743 व 1746 का साबिक की तुलना में 0.12 है० रकबा अधिक दर्ज कर दिया है। उक्त 0.12 है० रकबा अप्रार्थी सं० 1 की खातेदारी का है तथा अप्रार्थी सं० 1 के कमी रकबे की पूर्ति रास्ते की भूमि को अप्रार्थी सं० 1 की भूमि में दर्ज कर तथा 0.04 है० रकबा पीले रंग से दर्शित स्थान तक प्रार्थीगण की खातेदारी का है, को अप्रार्थी सं० 1 की खातेदारी में दर्ज कर तथा रास्ते को प्रार्थीगण की खातेदारी में दर्ज कर अप्रार्थी सं० 1 के रकबे को वापस कर दिया है। इस प्रकार 0.04 है० रकबा पीले रंग से दर्शित स्थान तक प्रार्थीगण की खातेदारी का अप्रार्थी सं० 1 की खातेदारी की भूमि ख०नं० 1742 में नजरी नक्शे में पीले रंग से दर्शित स्थान तक दर्ज कर दिया है तथा प्रार्थीगण का 0.03 है० रकबा वादपत्र के साथ संलग्न नजरी नक्शे में लाल रंग से दर्शित स्थान तक हाल ख०नं० 1740 में दर्ज कर दिया है जो अप्रार्थी सं० 1 व दावे में दर्ज प्रतिवादी सं० 2 लगायत 9 की खातेदारी में दर्ज है जबकि भूमि पर कब्जा प्रार्थीगण का ही है। भू-प्रबन्ध के इस गलत इन्द्राज के आधार पर अप्रार्थीगण व अन्य व्यक्ति प्रार्थीगण की खातेदारी भूमि में होकर नया रास्ता तहसीलदार गंगपुर सिटी से कायम करवाना चाहते हैं जबकि प्रार्थीगण की भूमि में कभी भी कोई रास्ता नहीं रहा है ना अब है। मौके पर अब भी बाजरे की फसल खड़ी हुई है। प्रार्थीगण को भू-प्रबन्ध विभाग द्वारा किए गए इस गलत इन्द्राज की कोई जानकारी नहीं थी लेकिन तहसीलदार गंगपुर सिटी द्वारा प्रार्थीगण के विरुद्ध धारा 91 के नोटिस जारी करने से उक्त गलत इन्द्राज की जानकारी हुई है। अतः प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर निवेदन है कि अप्रार्थीगण को जरिए अस्थाई निषेधाज्ञा पाबंद फरमाया जावे कि वे ताफैसला दावा प्रार्थीगण की भूमि ख०नं० 1741 रकबा 0.03 है० में होकर कोई नया रास्ता कायम नहीं करें तथा वादपत्र के साथ संलग्न नजरी नक्शे में पीले रंग से दर्शित 0.04 है० भूमि पर ताफैसला दावा किसी प्रकार का कोई निर्माण नहीं करें तथा मौके व रिकार्ड की यथास्थिति बनाए रखें।

प्रार्थना पत्र दर्ज रजिस्टर किया जाकर अप्रार्थीगण को तलब किया गया। अप्रार्थीगण बाबजूद सूचना उपस्थित नहीं हुए। अतः इनके विरुद्ध एकतरफा कार्यवाही की गई।

प्रार्थना पत्र संख्या 44/2017 बाबत अस्थाई निषेधाज्ञा प्रार्थीगण ने इस आशय का प्रस्तुत किया है कि प्रार्थीगण के पिता घसीड्या पुत्र सावलिया गुर्जर निवासी चूली की खातेदारी की भूमि एकीकरण ख०नं० 600 रकबा 4 बीघा 5 विस्वा वर्तमान ख०नं० 1722 रकबा 0.59 है० तथा ख०नं० 1729

उप जिला कलेक्टर
गंगपुर सिटी (स०ना०)

रकबा 0.32 है0 ग्राम चूली में स्थित रही है। हालख0नं0 1728 रकबा 0.17 का नया रोड बना है जिसमें प्रार्थी का 0.06 है0 रकबा शामिल कर दिया है जिसका प्रार्थीगण कोई क्लेम नहीं कर रहे हैं। रोड की भूमि को मिलाकर प्रार्थीगण का कुल रकबा 0.97 है0 होता है। साबिक की तुलना में प्रार्थीगण 0.10 है0 रकबा कर्म दर्ज किया गया है। प्रार्थीगण की खातेदारी की भूमि में हाल ख0नं0 1741 रकबा 0.03 है0 का नया रास्ता कायम कर दिया है तथा रास्ते बाद नजरी नक्शे में पीले रंग से दर्शाए गए स्थान तक 0.04 है0 रकबा प्रार्थीगण का हाल ख0नं0 1742 रकबा 0.37 है0 में लगा दिया है। अप्रार्थी नं0 1 का साबिक ख0नं0 683 रकबा 5 बीघा 14 विस्वा था जिसके वर्तमान ख0नं0 1742 रकबा 0.75 है0, 1748 रकबा 0.51 है0 व 1725/2098 रकबा 0.06 है0 कायम किए हैं। भू-प्रबन्ध विभाग द्वारा अप्रार्थी सं0 1 के रकबे को साबिक ख0नं0 682 रकबा 9 बीघा 2 विस्वा से बने हाल ख0नं0 1743 रकबा 1.71 है0, 1746 रकबा 0.75 है0 में शामिल कर दिया है। हाल ख0नं0 1743 व 1746 का साबिक की तुलना में 0.12 है0 रकबा अधिक दर्ज कर दिया है। उक्त 0.12 है0 रकबा अप्रार्थी नं0 1 की खातेदारी का है तथा अप्रार्थी नं0 1 के कमी रकबे की पूर्ति रास्ते की भूमि को अप्रार्थी सं0 1 की खातेदारी में दर्ज कर तथा 0.04 है0 रकबा पीले रंग से दर्शित स्थान तक प्रार्थीगण की खातेदारी का है को खातेदार राधेश्याम की खातेदारी में दर्ज कर तथा रास्ते को प्रार्थीगण की खातेदारी में दर्ज कर खातेदार राधेश्याम के रकबे बराबर कर दिया है। इस प्रकार 0.04 है0 रकबा पीले रंग से दर्शित स्थान तक प्रार्थीगण की खातेदारी का खातेदार राधेश्याम की खातेदारी भूमि ख0नं0 1741 में नजरी नक्शे में पीले रंग से दर्शित स्थान तक दर्ज कर दिया है तथा प्रार्थीगण का 0.03 है0 रकबा वादपत्र के साथ संलग्न नजरी नक्शे में कालेरंग से दर्शित स्थान तक हाल ख0नं0 1740 में दर्ज कर दिया है जो खातेदार राधेश्याम व दावे में दर्ज प्रतिवादी नं0 2 लगायत 9 की खातेदारी में दर्ज है। जबकि मौके पर कब्जा प्रार्थीगण का ही है। भू-प्रबन्ध द्वारा किए गए इस गलत इन्द्राज के आधार पर अप्रार्थीगण व अन्य व्यक्ति प्रार्थीगण की खातेदारी भूमि में होकर नया रास्ता तहसीलदार गंगापुर सिटीसे कायम करवाना चाहते हैं जबकि प्रार्थीगण की भूमि में कभी कोई रास्ता नहीं रहा है ना ही अब है। मौके पर अब भी बाजरे की फसलखड़ी है। भू-प्रबन्ध विभाग द्वारा किए गए इस गलत इन्द्राज के आधार पर तहसीलदार ने प्रार्थीगण के विरुद्ध धारा 91 के नोटिस जारी किए हैं। कुछ व्यक्तियों ने रास्ता निकलवाने के लिए न्यायालय सिविल न्यायाधीश गंगापुर सिटी के यहां एक दावा व

उप जिला कलेक्टर
गंगापुर सिटी (संमा०)

अस्थायी निषेधाज्ञा प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया था। सिविल न्यायालय ने अग्रणी की खातेदारी में होकर कोई रास्ता होना न मानकर उनका प्रा0पत्र अस्थायी निषेधाज्ञा खारिज कर दिया एवं दावा भी खारिज कर दिया। इस प्रा0पत्र को छिपाकर उन व्यक्तियों ने श्रीमान् जिलाकलेक्टर सवाईमाधोपुर के पास एक प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया जिस पर जिलाकलेक्टर सवाईमाधोपुर द्वारा तहसीलदार गंगापुर सिटी को कार्यवाही के आदेश दिए गए। अब तहसीलदार गंगापुर सिटी प्रार्थीगण की खातेदारी भूमि में होकर रास्ता कायम करने पर आमादा है। अतः प्रार्थना पत्र अस्थायी निषेधाज्ञा प्रस्तुत कर निवेदन है कि अप्रार्थीगण को जरिए अस्थायी निषेधाज्ञा ताफैसला दावा इस अमर से बाबंद फरमाया जावे कि वे भूमि ख0नं0 1741 रकबा 0.03 है0 ग्राम चूली में होकर कोई नया रास्ता कायम नहीं करें तथा मौके की यथास्थिति बनाए रखें तथा जिलाकलेक्टर के आदेश के आधार पर प्रार्थीगण की खातेदारी की भूमि में होकर कोई रास्ता कायम नहीं करें।

प्रार्थना पत्र दर्ज रजिस्टर किया जाकर अप्रार्थीगण को तलब किया गया। अप्रार्थीगण बाबजूद सूचना उपस्थित नहीं हुए। अतः इनके विरुद्ध एकतरफा कार्यवाही की गई।

प्रार्थना पत्र अस्थायी निषेधाज्ञा के समर्थन में प्रार्थीगण ने दस्तावेज फोटोकॉपी नकल जमाबंदी सं0 2026 से 2029, फोटोकॉपी नकल मिलान क्षेत्रफल, फोटोकॉपी नकल जमाबंदी सं0 2070 से 2073 खाता कजोड्या गूजर, फोटोकॉपी नकल नक्शा ट्रेस साबिक व हाल, फोटोकॉपी नकल कमिश्नर रिपोर्ट दिनांक 13.10.16, फोटोकॉपी नकल निर्णय दि0 17.12.2016 न्यायालय सिविल न्यायाधीश गंगापुर सिटी प्रस्तुत किए हैं।

बहस विद्वान वकील प्रार्थीगण सुनी गई।

प्रार्थीगण के विद्वान वकील ने अपने प्रार्थना पत्र अस्थायी निषेधाज्ञा के अनुरूप बहस करते हुए कहा कि मौके पर ख0नं0 1741 रकबा 9 एयर कोई रास्ता नहीं है जो नकल कमिश्नर रिपोर्ट से भी स्पष्ट है परन्तु भू-प्रबन्ध विभाग द्वारा इसे गै0मु0रास्ता के रूप में गलत दर्ज कर दिया है। भू-प्रबन्ध विभाग द्वारा की गई इस गलत कार्यवाही के आधार पर लैण्ड होल्डर तहसीलदार प्रार्थीगण को बेदखल करने पर व प्रार्थीगण की खातेदारी की भूमि में होकर रास्ता निकालने पर आमादा है। अतः अप्रार्थीगण को अस्थायी निषेधाज्ञा से बाबंद किया जावे कि वे भू-प्रबन्ध विभाग द्वारा रास्ते के रूप में गलत रूप से दर्ज की गई प्रार्थीगण की भूमि ख0नं0 1741 में होकर कोई रास्ता नहीं निकालें तथा मौके की यथास्थिति बनाए रखें।

उप जिला कलेक्टर
गंगापुर सिटी (स०मा०)

रामचरण वगैरा बनाम राधेश्याम वगैरा, प्रा०पत्र टी०आई०

(5)


बहस पर मनन किया। प्रस्तुत अभिलेख का अवलोकन किया।
प्रार्थीगण ने अपने टी०आई० प्रार्थना पत्र में ख०नं० 1741 जो रेकार्ड में
रास्ते के रूप में दर्ज है, के सम्बन्ध में अस्थाई निषेधाज्ञा चाही है। ख०नं०
1741 राजस्व अभिलेख एवं नक्शा ट्रेस में गैर मुमकिन रास्ते के रूप में दर्ज
है परन्तु यहां यह उल्लेखनीय है कि प्रार्थीगण द्वारा माननीय सिविल
न्यायालय गंगापुर सिटी में प्रस्तुत दावा उनवानी किलाण बनाम रामचरण
वगैरा के साथ प्रस्तुत अस्थाई निषेधाज्ञा प्रार्थना पत्र में सिविल न्यायालय द्वारा
संनवाई गई मौका रिपोर्ट दिनांक 8.10.16 के अनुसार मौके पर किसी प्रकार
का रास्ता नहीं पाया गया है। मौके पर रास्ता है या नहीं इस तथ्य का
निर्धारण मूल वाद में होना है। वर्तमान स्थिति में चूंकि ख०नं० 1741 राजस्व
अभिलेख व नक्शा ट्रेस के अनुसार रास्ता दर्ज है एवं भूमि रास्ते की होने के
कारण प्रार्थीगण का प्रथम दृष्टया केस प्रमाणित नहीं होता है। इसलिए रास्ते
की भूमि के सम्बन्ध में हम अप्रार्थीगण को अस्थाई निषेधाज्ञा से पाबंद करना
उचित नहीं समझते हैं।

आदेश

अतः उपरोक्त विवेचन के अनुसार प्रार्थीगण द्वारा प्रस्तुत अस्थाई
निषेधाज्ञा प्रार्थना पत्र संख्या 68/2016 एवं 44/2017 बाबत् ख०नं० 1741
ग्राम चूली अस्वीकार कर खारिज किए जाते हैं।

पत्रावली फौसलशुमार होकर नम्बर से कम हो एवं बाद तकमील मूल
वाद के साथ संलग्न रहे।

निर्णय आज दिनांक 8.8.2019 को खुले न्यायालय में सुनाया गया।


(स्पेशल कमिश्नर कृष्ण मीना)
गंगापुर सिटी
गंगापुर सिटी

